न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
78/2022/प्रा.पत्र/2022	13.09.2022	28.11.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री अर्पित अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल विक्रेता मैसर्स रूचि एन्टरप्राईजेज नजर बाग रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक राज. निवासी मालियों की गली मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक
2—श्री सीताराम अग्रवाल पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स रूचि एन्टरप्राईजेज नजर बाग रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक राज. निवासी मालियों की गली मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी श्री अर्पित अग्रवाल।

:—निर्णय—: **दिनांक 28.11.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.06.2022 को समय 12:49 पीएम पर मैसर्स रूचि एन्टरप्राईजेज नजर बाग रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री अर्पित अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अर्पित अग्रवाल ने स्वयं को मैसर्स मैसर्स रूचि एन्टरप्राईजेज नजर बाग रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **सूजी टोस्ट रस्क मेट्रो ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Metro Brand)** 200—200 ग्राम के 24 नग दुकान में वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अर्पित अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अर्पित अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सूजी टोस्ट रस्क मेट्रो ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Metro Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हेतु क्रय किया जा रहा है, 200–200 ग्राम के 4 नग पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सूजी टोस्ट रस्क मेट्रो ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Metro Brand)** 200–200 ग्राम के 4 नग पॉली पैक को बराबर–बराबर एक भाग 200 ग्राम को खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3193 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री अर्पित अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल विक्रेता मैसर्स रूचि एन्टरप्राईजेज नजर बाग रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 1886 दिनांक 12.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 2086 / एक्ट / 2022 / 2093 दिनांक 21.06.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सूजी टोस्ट रस्क मेट्रो ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Metro Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

आवेदक द्वारा श्री अर्पित अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल विक्रेता मैसर्स रूचि एन्टरप्राईजेज नजर बाग रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु कोई खरीद बिल प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अर्पित अग्रवाल दिनांक 09.11.2022 को स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। आज श्री अर्पित अग्रवाल स्वयं उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सूजी टोस्ट रस्क मेट्रो ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Metro Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सूजी टोस्ट रस्क मेट्रो ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Metro Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.11.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक